

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सूचना/18870/2022-23

दिनांक:

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मु.) प्रारंभिक शिक्षा
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त संस्था सचिव/प्रधान गैर सरकारी विद्यालय

विषय:—गैर सरकारी विद्यालयों का विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु।

प्रसंग:—स्कूल शिक्षा विभाग के 100 दिवस की कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का पत्र क्रमांक : प.24(1)शिक्षा-2/CMIS/2023 जयपुर दिनांक 07.02.2024 एवं प. 16(01)शिक्षा-5/CMIS/2022 (Rajkaj-00224) जयपुर दिनांक 08.02.2024 एवं राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पत्रांक 9359 दिनांक 13.02.2024

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता,सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 (सं. गोधित) नियम 2011 में विभिन्न स्तर की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। गैर सरकारी विद्यालयों के प्रभावी प्रबोधन, समस्याओं एवं निजी विद्यालयों से जुड़ी प्राप्त परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक रूप से समय-समय पर निरीक्षण करवाया जाना है।

स्कूल शिक्षा विभाग के 100 दिवस की कार्ययोजना के प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित बिन्दु संख्या 17 "निजी विद्यालयों का विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इन विद्यालयों द्वारा उनसे संबंधित कानूनों एवं नियमों की पालना की जा रही है", के क्रियान्वयन एवं निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति का गठन किया जाकर समिति द्वारा समय-समय पर विद्यालय का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।

➤ समस्त गैर सरकारी विद्यालयों हेतु निरीक्षण के संबंध में निर्देश –

- वर्तमान मान्यता मापदण्डों एवं विभाग से जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की अक्षरशः पालना करना राज्य में संचालित प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय का उत्तरदायित्व है।
- RNGEI Act 1989 की धारा 10 राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति** में निहित प्रावधानानुसार एवं प्रदत्त मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्ताधीन समय-समय पर गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर अद्यतन दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के साथ विद्यालयों के कुशल संचालन एवं विभागीय आदेशों के क्रियान्वयन में आ रही कमियों को दूर किये जाने एवं विद्यालय प्रतिनिधि – विभागीय उच्चाधिकारियों के मध्य सीधे संवाद के लिए भौतिक निरीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

RajKaj Ref
5726889



- निरीक्षण के दौरान विद्यालय से संबंधित समस्त दस्तावेज जांच दल को उपलब्ध करवाना, जांच हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं जांच के समय संस्था प्रधान सहित समस्त कार्यरत कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निजी विद्यालय की है। यदि किसी विद्यालय के विरुद्ध ऐसा पाया जाता है कि नियमित पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालय जांच कमेटी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहा अथवा जांच में सहयोग प्रदान नहीं कर रहा तो तत्समय ही उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- नियमित पर्यवेक्षण/निरीक्षण जांच कमेटी द्वारा विद्यालय संचालन समय में ही किया जावेगा

➤ निरीक्षण समिति का कार्य क्षेत्र—

- नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण राज्य में संचालित सभी गैर सरकारी विद्यालयों का किया जायेगा चाहे वह किसी भी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हो अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किन्तु राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालय भी निरीक्षण के दायरे में शामिल होंगे।

➤ समिति द्वारा जांच में सम्मिलित किए जाने वाले बिन्दु

- विद्यालय को संचालित करने वाले ट्रस्ट/सोसाइटी की अद्यतन स्थिति एवं सोसाइटी के पंजीकरण, विधान एवं कार्यकारिणी संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन।
- जारी मान्यता आदेशों के अनुसार विद्यालय की भौतिक स्थिति के अनुसार भूस्वामित्व/पंजीकृत किरायानामा संबंधित दस्तावेज।
- विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी से जारी ब्लू प्रिंट, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)
- पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति
- संस्था की स्थावर संपत्तियों का विवरण,
- विद्यालय की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट/स्थिति
- गुड-टच, बेड-टच एवं समय-समय पर विभाग द्वारा किए गए नवाचारों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उनसे संबंधित रिकॉर्ड्स का अवलोकन करना।
- गत 03 सत्रों की सीए रिपोर्ट
- विद्यालय एवं संबंधित जिशिअ के नाम से संयुक्त एफडीआर की प्रति
- फीस एक्ट की पालना किये जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियम 2011 के अन्तर्गत विद्यालय में निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण एवं अधिनियम में उल्लेखित समस्त मानदण्डों की पालना की स्थिति
- आरटीई पुनर्भरण की स्थिति
- विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति
- विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो उसका विवरण

- विद्यालय में कार्यरत स्थायी/अस्थायी कार्मिकों की नियुक्ति, उपस्थिति, उनके वेतन एवं उनके अवकाश संबंधी रिकॉर्ड।
- वर्तमान मानदण्डों के अनुसार विद्यालय परिसर में भूमि, कक्षा-कक्ष, विषयवार प्रयोगशाला, बालक-बालिकाओं के पृथक-पृथक शौचालय, पुस्तकालय, रेम्प एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता।
- शैक्षिक भू-रूपान्तरण/विद्यालय संचालन की अनुमति तथा कर्मचारी भविष्य निधि प्रमाण पत्र
- अध्ययनरत विद्यार्थियों का कुल नामांकन एवं उनकी उपस्थिति
- मान्यता/एनओसी जारी करते हुए उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना
- शिक्षक - शिष्य के संख्यात्मक अनुपात के आधार पर आवश्यक कक्षा-कक्ष की व्यवस्था एवं शिक्षकों की नियुक्ति की गई है अथवा नहीं
- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता,सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 (संशोधित) नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्ड

उक्त निर्देशों के क्रम में गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(सीताराम जाट)

(आई.ए.एस)

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) राजस्थान सरकार, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

RajKaj Ref
5726889